

(83)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

30 MAY 2000

कमांक : प. 3(28)नविचि/3/96 जयपुर, दिनांक 25 मई, 2000

: प रि प त्र :

विषय:- भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

राज्य के विभिन्न जिला कलेक्टरों/संभागीय आयुक्तों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बारे में नगर विकास न्यास क्षेत्रों के लिये निर्देश चाहे जा रहे हैं। इस संबंध में स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है :-

1. धारा 73(बी) राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम के तहत भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में संशोधन विचाराधीन है। अतः राजस्थान नगर पालिका(भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 जिनका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को हुआ है, नगर विभाग न्यास क्षेत्रों में भी निम्न संशोधनों के साथ प्रभावी होंगे। उक्त नियमों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।
2. उपरोक्त नियमों के नियम 5(1)(ड.) में सदस्य सचिव, नगर सुधार न्यास सचिव होंगे। इसी अनुरूप राज्य स्तरीय समिति में नियम 5(111)(घ) में सचिव, नगर सुधार न्यास सदस्य होंगे। इसके अलावा नियम 5 (111)(ख) में निर्देशक स्थानीय विकास विभाग के स्थान पर उप शासन सचिव - प्रथम, नगरीय विकास विभाग सदस्य होंगे।
3. भू-उपयोग के परिवर्तन के प्रकरणों में न्यास के योजना क्षेत्रों तथा नगरपालिका सीमा के बाहर के क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन का कार्य सम्बन्धित न्यास द्वारा किया जावेगा। नगरपालिका सीमा क्षेत्र में नगरपालिका/परिषद द्वारा न्यास की ऐसी योजनाओं जो उन्हें हस्तांतरित नहीं हुई है को छोड़ते हुए भू-उपयोग परिवर्तन किया जावेगा। इन प्रकरणों में प्राप्त राशि भी उपरोक्तानुसार ही सम्बन्धित न्यास/परिषद/विभाग/पालिका में जमा करवाई जावेगी।
4. भू-उपयोग परिवर्तन के ऐसे प्रकरण जिनमें निर्माण कार्य काफ़ी मास्टर प्लान / मास्टर प्लान के उपयोग के विपरीत दिनांक अप्रैल, 2000 तक कर लिया गया है, उनमें भू-उपयोग परिवर्तन

(16)

(16)

संबंधित समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.9.2000 तक होगी। इस अवधि तक सामान्य दर से कुल देय राशि जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित समितियों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में दिनांक 4 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जायेगा।

(जी. एस. सन्धु)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजित है :-

1. प्रमुख सचिव, भा. मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, भा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, भा. राज्य मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. संबंधित जिला कलेक्टर।
6. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव